

## सूचना

समस्त पैनल लॉयर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियमन 2010 के अनुसार रिटेनर लॉयर की नियुक्ति किया जाना है ।

रिटेनर के रूप में नामित पैनल लॉयर अपना समय एकांतिक रूप से विधिक सहायता कार्यों के लिये तथा विधिक सेवा समिति के फ्रंट ऑफिस अथवा परामर्श ऑफिस के लिये उपलब्ध करावेगें । विनियमन के अनुसार रिटेनर लॉयर को देय मानदेय 7,500/- (सात हजार पांच सौ) रुपये प्रतिमाह है । अतएव रिटेनर लॉयर के रूप में नामित होने के लिये इच्छुक पैनल अधिवक्तागण जो उक्त शर्तों के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिये रिटेनर के रूप में कार्य करने हेतु सहमत हो वें दिनांक 30/06/2017 के पूर्व संलग्न प्रारूप में अपनी सहमति कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

दिनांक 20.06.2017


(विजय चन्द्र)  
सचिव/रजिस्ट्रार  
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,  
जबलपुर

प्रारूप  
परिशिष्ट "बी"

19 JUN 2017

कार्यालय का नाम— उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील  
विधिक सेवा समिति में रिटेनर नियुक्ति हेतु प्रस्तावित रिटेनर का संक्षिप्त  
व्यक्तिगत विवरण



1. प्रस्तावित रिटेनर का पूरा नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. जन्मतिथि : .....
4. जाति वर्ग : .....
5. पत्र व्यवहार का पूरा पता : .....
- पिन कोड सहित
6. संपर्क हेतु : .....
- अ. दूरभाष + एस.टी.डी. कोड : .....
- ब. मोबाइल नंबर : .....
- स. ई-मेल आई.डी. : .....
7. अधिवक्ता के रूप में राज्य अधिवक्ता  
परिषद में पंजीयन क्र. व दिनांक : .....
8. अधिवक्ता का विशेष कार्य अनुभव : सिविल / किमिनल / राजस्व / अन्य  
(विवरण सहित)  
.....  
.....  
.....
9. विधिक सेवा के रूप में पेनल लॉयर : .....
- के रूप में कार्य का अनुभव : .....
10. नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी  
(फ्री एण्ड काम्पीटेंट लीगल सर्विसेस)  
रेगुलेशन 2010 के अनुसार पेनल लॉयर  
की सहमति (हाँ/नहीं) : .....

11. बच्चों पालकपुत्र प्रथम प्रवृत्त की  
क्षयावृत्ति

हस्ताक्षर  
प्रस्तावित रिटेनर

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुशंसा